भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3696
उत्तर देने की तारीख 03 अप्रैल 2025

धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों का दुरुपयोग

3696 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विगत पांच वर्षों में सिम कार्डों की धोखाधड़ीपूर्ण खरीद और दुरुपयोग में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो सिम कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने सिम कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी में वृद्धि के कारणों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी धोखाधड़ी को सख्ती से विनियमित करने और उक्त पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने की सुविधा सहित विभिन्न सुविधाओं के साथ नागरिक केंद्रित संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का विकास।

ii. दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी को हितधारकों के बीच साझा करने के लिए ऑनलाइन सुरक्षित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) का विकास।

iii. ऐसी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल जिनमें भारतीय मोबाइल नंबर डिस्प्ले होता है और जो भारत के भीतर से ही की गई प्रतीत होती हैं, की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के सहयोग से सिस्टम का विकास।

(ख) से (घ) दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कनेक्शनों के दुरुपयोग के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिए गए संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करने के लिए एआई आधारित उपकरण का विकास। पुनः सत्यापन के बाद ऐसे 78 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं।

ii. दूरसंचार विभाग/दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) द्वारा अभिचिह्नित मौजूदा मोबाइल कनेक्शनों के पुनः सत्यापन के लिए नीतिगत निर्देश।

iii. दूरसंचार लाइसेंसधारकों के लिए अपने बिक्री केन्द्र (पीओएस) {फ्रेंचाइजी, वितरकों और एजेंटों} को पंजीकृत करना अनिवार्य किया गया, जो ग्राहकों को नामांकित करते हैं और उनकी ओर से सिम जारी करते हैं।

iv. बायोमैट्रिक सत्यापन, पीओएस के व्यावसायिक और स्थानीय निवास स्थान के पते का भौतिक सत्यापन। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर, असम तथा पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में पीओएस का पुलिस सत्यापन।

v. पीओएस द्वारा दिए गए दस्तावेज/सूचना गलत/जाली पाए जाने पर और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए)/लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के निर्देशानुसार उन सभी टीएसपी के पीओएस को ब्लैक लिस्ट करना।

vi. सिम स्वैप/रिप्लेसमेंट के लिए नो योअर कस्टमर (केवाईसी) की प्रक्रिया को सशक्त बनाना।

vii. कागज आधारित केवाईसी प्रक्रिया को बंद करना।

viii. दिशानिर्देशों के अनुपालन में टीएसपी द्वारा जारी सिम कार्डो की सैंपल आधार पर मासिक लेखापरीक्षा करना।

*****